भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 212*
(03 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ीएमजीएसवाई, आरआईडीएफ और मनरेगा के अंतर्गत आबंटन

***212. श्री राजू बिष्टः**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दार्जिलिंग कलिंपोंग तथा उत्तर दीनाजपुर ज़िलों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईीएफ) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2014 से आज की तिथि तक आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि के उपयोग के संबंध में कोई कैग लेखापरीक्षा की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 212 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ख): वर्ष 2014 से अब तक अविभाजित दार्जिलिंग (कलिंपोंग सहित) और उत्तर दीनाजपुर जिलों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआई□एफ) से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

<u>□ीएमजीएसवाई</u>

(रू. करोड़ में)

जिले का नाम	**आवंटित निधि**	**उ□योग की गई निधि**
दार्जिलिंग	714.28	525.10
उत्तर दीनाजपुर	267.98	199.89

<u>आरआईडीएफ</u>

(रू. करोड़ में)

जिले का नाम	**आवंटित निधि**	**उ□योग की गई निधि**
दार्जिलिंग	333.36	240.93
उत्तर दीनाजपुर	293.27	188.76

महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। मंत्रालय द्वारा सहमत श्रम बजट, रोकड़-जमा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लंबित देयताओं, यदि कोई हों, और समग्र निष्पादन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार कार्य की मांग को ध्यान में रखकर निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए राज्यों को कोई आवंटन नहीं किया गया है। वर्ष 2014 से आज तक अविभाजित दार्जिलिंग और उत्तर दीनाजपुर जिलों में अनुमोदित श्रम बजट, सृजित श्रम दिवसों और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिले का नाम	अनुमोदित श्रम बजट करोड़ में	सृजित श्रम दिवस करोड़ में	व्यय करोड़ रु. में*
दार्जिलिंग	4.26	3.41	1101.21
उत्तर दीनाजपुर	2.71	3.18	800.36

* इसमें राज्य अंश शामिल है।

(ग) से (घ): भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकायों और प्राधिकरणों सहित भारत सरकार और राज्य सरकारों के पूरे आय-व्यय की लेखापरीक्षा करता है। लेखापरीक्षा का कार्यक्रम इत्यादि सीएजी द्वारा स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर दीनाजपुर जिले में पीएमजीएसवाई की निष्पादन लेखापरीक्षा 2015 दिनांक 07.09.2015 से 01.10.2015 तक की गई थी। पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत उत्तर दीनाजपुर जिले में आवंटित की गई निधियों के उपयोग के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दार्जिलिंग जिले में महालेखापरीक्षक, पश्चिम बंगाल द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की आरआईडीएफ लेखा परीक्षा की जा रही है। मनरेगा के संबंध में महालेखापरीक्षक ने राज्य स्तर पर नियमित रूप से सीएजी लेखा परीक्षा की गई है। तथापि, इन जिलों में कोई सीएजी लेखा परीक्षा नहीं की गई है।